



संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 11/2015-एनडीए-II

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 17.07.2015)

दिनांक 20.06.2015

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2015

(आयोग की वेबसाइट - www.upsc.gov.in)

फा. सं. 7/3/2015-प.1(ख) - राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना और वायु सेना स्कंधों के लिए 2 जुलाई, 2016 से शुरू होने वाले 136वें पाठ्यक्रम हेतु और नौ सेना अकादमी के 98वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (आईएनएसी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 27 सितंबर, 2015 को एक परीक्षा आयोजित की जायेगी। भारतीय नौसेना अकादमी में भर्ती उम्मीदवारों को 4 वर्ष का बी.टेक. कोर्स करना होगा तथा रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के आधार पर नौसेना के कार्यपालक और तकनीकी विभाग में भर्ती का अवसर भी दिया जा सकता है। आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या इस प्रकार होगी।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 320 [208 थल सेना के लिए 42 नौ सेना के लिए और 70 वायु सेना के लिए]

भारतीय नौ सेना अकादमी 55

[10+2 कैडेट एंट्री स्कीम]

योग 375

रिक्तियां अंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौ सेना अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान : (i) प्रत्येक उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपने वरीयता क्रम के अनुसार (1 से 4) सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि योग्यता क्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं, उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा के केन्द्र :

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
ऐजल	इंफाल	पोर्ट-ब्लेयर
इलाहाबाद	ईटानगर	रायपुर
बैंगलूरु	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मदुरै	उदयपुर
धारवाड़	मुंबई	विशाखापटनम
दिस्पुर	नागपुर	

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिस्पुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आवंटन 'पहले आवेदन करो पहले आवंटन पाओ' पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

2. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार www.upsconline.nic.in वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट-II में दिए गए हैं। विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

3. आवेदन भरने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 17 जुलाई, 2015 रात्रि 11.59 बजे तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात लिंक निस्पत्योज्ज्ञ होगा।

4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों की ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करेगा।

5. गलत उत्तरों के लिए दंड :

अध्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जायेगा।

6. ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल काले रंग के बॉल पेन का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल वर्जित है, पेसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/गुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमानुसार अनुक्रमानुसार असंगत अस्वीकृत विवरण के लिए दंड दिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट -III में निहित 'विशेष अनुदेशों' को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

7. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यादिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।

8. मोबाइल फोन प्रतिबंधित :

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का कोई अतिलंघन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/ब्लूटूथ/पेजर्स अथवा कीमती/मूल्यावान वस्तुओं सहित उक्त प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन करने की जरूरत है।

किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है

4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या

5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जैरे तथा इथोपिया या वियतनाम से प्रव्रज्जन करके आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आवेदन करने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो। परन्तु नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म 2 जनवरी, 1997 से पहले न हुआ हो तथा 1 जनवरी, 2000 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो एसेंसी की क्षमता पूर

दिल्ली-110066” को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में “नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, ‘सी’ स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011” को 24 जून, 2016 तक भेजना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10+2 पास या समकक्ष प्रमाण पत्र एसएसबी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एसएसबी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियाँ फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जो 11 वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार, जिन्हें 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख (24 जून, 2016) तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देश से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4 : वे उम्मीदवार जो आईएनएसबी/पीएबीटी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

(घ) शारीरिक मानक :

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2015 हेतु परिशिष्ट-IV में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

वे उम्मीदवार जिन्हें या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं।

4. शुल्क :

उम्मीदवारों को रु. 100/- (रुपये सौ मात्र) फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों टिप्पणी 2 में उल्लिखित जे.सी.ओ./एन.सी.ओ./ओ.आर. के बच्चों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या बीजा/गास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

ध्यान दें-1. जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सुजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। “नकद भुगतान प्रणाली” का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 16-07-2015 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन-स्लिप का सुजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात् 17-07-2015 को 23-59 बजे तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

ध्यान दें-2: उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त रहित आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

ध्यान दें-3: एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए अरक्षित रखा जा सकता है।

ध्यान दें-4: जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

टिप्पणी-1: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और टिप्पणी 2 में उल्लिखित उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-2: थल सेना में सेवारत/भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों तथा भारतीय नौसेना/भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के अफसरों के बच्चों को निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी यदि वे मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले किंग जॉर्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था) सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाये जाने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त हो रही हैं। (विशेष ध्यान: ऐसे सभी उम्मीदवारों को संबद्ध प्रिंसिपलों से शुल्क में छूट हेतु उनकी प्रत्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और एसएसबी. परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा एसएसबी. परीक्षण/साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा)।

5. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार www.upsconline.nic.in वेबसाइट सुविधा का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी-1: आवेदकों को केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार ये नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-2: सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले ही सरकारी सेवा में हों, जिनमें सशस्त्र सेना बल के उम्मीदवार भी शामिल हैं और भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित)। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जॉर्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाये जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों अथवा निजी रोज़गार में कार्यरत उम्मीदवारों को आयोग को सीधे ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

विशेष ध्यान दें : (क) जो व्यक्ति पहले से ही स्थायी या अस्थायी हैसियत से सरकारी सेवा में हों या आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं; (ख) सशस्त्र सेना बल में कार्यरत उम्मीदवार भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), और (ग) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जॉर्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाये जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों को अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष, कमांडिंग अधिकारी, संबद्ध कॉलेज/स्कूल के प्रिंसिपल, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता/संबंध प्राधिकारी से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले बैठने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने

अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग. योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज. द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा द्वास फलन. उच्चिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग.

6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण : अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंड़शः समाकलन, बीजिय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिप. रखलायिक फलन निश्चित समाकलनों का मानाकन वक्रेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण-अनुप्रयोग.

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना. अवकल समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल. विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण. वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग.

7. सदिश बीजगणित :

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आधूर्य तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग.

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :

सांख्यिकी : आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण, ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक. प्रसरण तथा मानक विचलन निर्धारण तथा तुलना. सहसंबंध तथा समाश्रयण.

प्रायिकता : यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिर्दर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपरवर्जित तथा निशेष घटनाएं - असंभव तथा निश्चित घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं. प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्नप्रतिर्दर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चरदि. आधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण.

प्रश्नपत्र-II

सामान्य योग्यता परीक्षण (कोड संख्या 02) (अधिकतम अंक-600)

भाग (क) अंग्रेजी :

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के

कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके. पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता.

भाग (ख) सामान्य ज्ञान :

(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आयेंगे. इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा. उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है. उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए.

खंड-क (भौतिकी) :

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिस्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चर्तुभुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान.

ऊर्जा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊर्जा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊर्जा, ऊर्जा अभिगमन की विधियां.

ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाय यंत्र, प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपर्वर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म. पृथ्वी चुम्बक के रूप में स्थैतिक तथा धारा विद्युत. चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ. धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप प्राथमिक और ऊर्जा के उपयोग निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धांत : सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुक, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्षुचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज.

खंड-ख (रसायन शास्त्र) :

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन अम्ल, क्षारक और लवण

कार्बन- भिन्नरूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम साबुन, कांच, अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के

स्थानी, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपातुडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री.

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान.

खंड-ग (सामान्य विज्ञान) :

जड़ और चेतन में अंतर.

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव और ऊतकों का आधार

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान.

सामान्य महामारियों और उनके कारण तथा रोकने के उपाय.

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत. खाद्य के अवयव

संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन, भारत की पंचर्वीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और साम.

दायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य.

महात्मा गांधी के मूल उपदेश

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव. एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान.

खंड- ड. (भूगोल)

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी, महासागर धाराएं और ज्वार-भाटे.

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब. भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और घर्षण.

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र, भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण. भारत के महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें.

खंड-च (सामयिक घटनाएं) :

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी, सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं.

महत्वपूर्ण व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ड तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :

“ वर्तमान में सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं- चरण-I तथा चरण-II. चरण- II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को समिलित होने की अनुमति दी जाती है, जो चरण-I में सफल रहते हैं. इसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) चरण-I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन) * विवरण परीक्षण” (पीपी एवं ड

परिशिष्ट-III

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म का काला बॉल पेन, लिखने के लिए भी उन्हें काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना चाहिए। उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेक्ष उपकरणों, लघुगुणक सारणी, मानविकों के स्टेसिल, स्लाइडर, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, परीक्षा हाल में न लाएं।

मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर/ब्लूटूथ सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचारण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका शृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक काले बॉल प्याइंट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका शृंखला (ए.वी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बॉल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर शृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी शृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मर्दों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा। अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

“वस्तुपरक” परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है।

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 तक होंगी। प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और

(डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है।

उदाहरण (a) ● (c) (d)

11. स्कैनेबल उपस्थिति सूची में ऐंट्री कैसे करें:

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, जैसा नीचे दिया गया है, अपने कॉलम के सामने केवल काले बॉल पेन से संगत विवरण भरना है।

(i) उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में, [P] वाले गोले को काला करें।

(ii) समुचित परीक्षण पुस्तिका सीरीज के संगत गोले को काला करें।

(iii) समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।

(iv) समुचित उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।

(v) दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अर्यत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्ताकांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे।

उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उत्तर पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

Centre	Subject	S. Code	Roll Number
केन्द्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक

मान लो यदि आप गणित के प्रश्न-पत्र* के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका शृंखला ‘ए’ है तो आपको काले बॉल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।*

Centre	Subject	S. Code	Roll Number

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक मानक के मार्गदर्शन संकेत

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत बाद में स्वास्थ के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ की जांच करा लें।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी बोर्डी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें।

कुछ ऐसे दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं।

- (क) कान का मैल
- (ख) डेवयेटिंड नेजल सेप्टम
- (ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस
- (घ) अधिक भार/कम भार
- (ङ) छाती कम होना
- (च) बवासीर
- (छ) गाहनी कामेस्ट्रिया
- (ज) टांसिल
- (झ) वेरिकोसिल

नोट : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रेति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में मंजूरी प्रदान करने के लिए कमांडेंट चयन केन्द्र सक्षम प्राधिकरण होगा।

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि

- (क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा
- (ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारित हो; अथवा
- (ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेक्षण हेतु दाखिल करना अपेक्षित समझे।

नोट : वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ परीक्षा करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है। जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा। किंतु अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक सेव्य कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या चयन की कमी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार ज्यादा चयन और मोटा नहीं होना चाहिए।

(ग) कद कम से कम 157.5 सेमी। (वायु सेना के लिए 162.5 सेमी) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमाऊं के

व्यक्तियों का 5 सेमी। कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेमी। की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है। कद और चयन मानक नीचे दिए जाते हैं।

कद और चयन के मानक-थल सेना/वायु

सेना के लिए

सारणी-I

(बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16-17 वर्ष	17-18 वर्ष	18-19 वर्ष
152	42.5	44.0	45.0
155	43.5	45.3	47.0
157	45.0	47.0	48.0
160	46.5	48.0	49.0
162	48.0	50.0	51.0
165	50.0	52.0	53.0
167	51.0	53.0	54.0
170	52.5	55.0	56.0
173	54.5	57.0	58.0
175	56.0	59.0	60.0
178	58.0	61.0	62.0
180	60.0	63.0	64.5
183	62.5	65.0	66.5

कद और चयन के मानक-नौसेना के लिए

सारणी-II

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16 वर्ष	18 वर्ष	20 वर्ष
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

“तालिका I और तालिका II में दिए गए औसत चयन से वास्तविक चयन में $\pm 10\%$ के अंतर को सामान्य सीमा में माना जाए। किन्तु भारी हाइड्रों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-1 : ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक हो सकती है कद में 2.5 सेमी की (नौ सेना के लिए 5 सेमी) छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-2 : वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगी।

	न्यूनतम	अधिकतम
टांग की लंबाई	99.00 सेमी.	120.00 सेमी.
जांघ की लंबाई	-	64.00 सेमी
बैठे हुए लंबाई	81.50 सेमी	96.00 सेमी

परिशिष्ट-IV

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 81 सेमी. से कम नहीं होना चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेमी होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का उपरी भाग पीछे स्फंद फलक (शोल्डर ब्लॉड) के निम्न कोण (लोअर एंगल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जल्दी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(इ) हाइड्रों या जोड़ों में कोई अप विकास या उनकी कार्यप्रणाली में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए।

मेरुदण्ड की स्थितियां

(च) मेरुदण्ड अथवा त्रिक-थ्रेणिफलक - संधि संबंधी रोग या अभिधात का पूर्व चिकित्सीय इतिहास, अभिदृश्यक लक्षणों सहित या उनके बिना, जो उम्मीदवार को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक जीने से रोक रहे हैं, के मामले में भारतीय वायु सेना में कमीशन नहीं दिया जाएगा। मेरुदण्ड अस्थिभंग/अन्तरा/कशेरुका चक्रिश भ्रंश का इतिहास तथा इन स्थितियों के लिए किए गए शल्य चिकित्सकीय उपचार स्वीकार्य नहीं होंगे। चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित स्थितियां पाए जाने पर उम्मीदवार वायु सेना सेवा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।

(i) मेरुदण्ड का कणिकालगुल्मीय रोग

(ii) संधिशोथ संस्रुप/कशेरुकासन्धिग्रह

- रुमेटॉइड संधिशोथ तथा संबद्ध विकार
- बद्ध कशेरुकासन्धिशोथ
- अस्थिसंधिशोथ, कशेरुकासन्धिग्रह तथा अपविक्ष

इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रत्तोंधी आने का रोग नहीं हुआ है। जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरेटोटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने वर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

नौसेना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

बिना चश्मे के असंशोधित	6/6	6/9
चश्मे के साथ संशोधित	6/6	6/6
निकट दृष्टि की सीमा	-	0.75
दूर दृष्टि की सीमा	+1.5	
दूरवीन दृष्टि	111	
कलर प्रिसेप्शन की सीमा	1	
वायु सेना के लिए दृष्टि मानक		
प्रायः ऐनक पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं। न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6/6 एक आंख		

में तथा 6/9 दूसरी आंख में, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक सही किए जाने योग्य। वर्ण दृष्टि दोष सीपी-I हाइपरमेट्रोपिया : +2.0 डीएसपीएच प्रत्यक्ष निकट दृष्टिता - शून्य नेत्र अपवर्तनमानपीय निकटदृष्टिता : -0.5 किसी भी अनुमेय याम्योत्तम में एस्टिमेटिज्म : +0.75 डीसीवाई एल (+2.0 के अंदर डी-मैक्स) मैड्डोक्स रोड परीक्षण
(i) 6 मीटर पर - एक्सोफोरिया - 6 प्रिज्म डी एसोफोरिया - 6 प्रिज्म डी हाइपर - 1 प्रिज्म डी हाइपो - 1 प्रिज्म डी (ii) 33 सें.मी. पर- एक्सोफोरिया - 16 प्रिज्म डी एसोफोरिया - 6 प्रिज्म डी हाइपर - 1 प्रिज्म डी हाइपो - 1 प्रिज्म डी हस्त - त्रिविमदर्शी - सभी बीएसवी ग्रेड्स अभिसरण - 10 सें.मी. तक के लिए दूर तथा निकट के लिए कवर परीक्षण

पाश्वर्य अपसरण/अभिसरण

शीघ्र तथा पूर्व उपलब्धि सीटू में रेडियल केरेटोटोमी, प्रकाश अपवर्तन केरेटोटोमी/लेजर अपवर्तन संबंधी दोषों को सही कराने हेतु की गई केरेटोमिल्युसिस (पीआरके/लेसिक) शल्य चिकित्सा वायुसेना दायित्वों के लिए अनुमत नहीं हैं। आईओएल रोप सहित या उसके बिना मोतिया बिन्दु की शल्य चिकित्सा कराने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। द्विनेत्री दृष्टि - अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए (उत्तम आयाम तथा गहराई सहित संयोजन तथा स्टीरियोपिसिस) जिन उम्मीदवारों की लेसिक शल्य चिकित्सा हुई है, उन्हें भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा में नियुक्त हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। (ध) यू.एस.जी. उदर जांच की जाएगी तथा किसी प्रकार की जन्मगत संरचनात्मक असामान्यता या उदर के अंगों का रोग पाए जाने पर सशस्त्र सेना

से अस्वीकृत किया जा सकता है।

- (न) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए, कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं। उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए। (प) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिये रुटीन ईंसीजी तथा ईंजीजी सामान्य सीमा में होने जरूरी हैं। (फ) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :
- (क) 15 मिनट में 2.5 किमी. की तेज दौड़ (ख) उछल कूद
- (ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)
- (घ) ठोढ़ी को ऊंचाई तक छूना (कम से कम आठ बार)
- (ड) 3 से 4 मीटर रस्सी पर चढ़ना

परिशिष्ट-V

सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। (क) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाये या उपर निर्दिष्ट किसी कारण या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु होने जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा। (ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-प्रपत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गये के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से तकाल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होगी।

(क) प्रतिमास ₹ 1500 की दर से ₹ 7500.00 पांच महीने का जेब खर्च (ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मदों के लिए (ग) सेना समूह बीमा निधि (घ) प्रथम सत्र के दौरान अनुरोधिक व्यय योग ₹ 37131.00 यदि उम्मीदवार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी मिल जाती है, तो उपर्युक्त उल्लिखित राशि में से निम्नलिखित राशि वापिस लौटा दी जाएगी। (क) प्रतिमास ₹ 400.00 बी मारु 2000.00 से पांच माह के लिए पॉकेट

भत्ता (सरकारी वित्तीय सहायता के अनुरूप)

(ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मदों ₹ 13935.00 के लिए

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं :

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति, पासिंग आउट पाठ्यक्रम के अंतर्गत अकादमिक क्षेत्र में समग्रतः प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट को प्रदान की जाती है। एक बारी छात्रवृत्ति की राशि 5000/- रु. है।

(2) कर्नल कैंडिल फैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : यह ₹ 360 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति ₹ 37 प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाइंग कॉलेज तथा भारतीय नौसेना अकादमी, इंडियाला में जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) असम सरकार छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति ₹ 30 प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिये बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य

वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां : दो छात्रवृत्तियां ₹ 30 प्रति मास की तथा ₹ 400 की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेंगी। (6) केरल सरकार छात्रवृत्ति : पूरे वर्ष के लिए ₹ 480 की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा.र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी है और जो रा.र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं.लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार : यह ₹ 500 का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलता है। (8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां : तीन छात्रवृत्तियां - एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक ₹ 80 प्रतिमास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जाएगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय ₹

(11)	नागलैंड	1,00,000/- रुपये एकबारी भुगतान	नागलैंड राज्य का अधिवासी होना चाहिए.
(12)	मणिपुर	1,00,000/- रुपये एकबारी भुगतान	मणिपुर राज्य का अधिवासी होना चाहिए.
(13)	अरुणाचल	प्रदेश छात्रवृत्ति 1000/- रुपये प्रति माह एकबारी वर्दी भत्ता 12,000/- रुपये	अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिवासी होना चाहिए.
(14)	गुजरात	छात्रवृत्ति 6000/- रुपये प्रति वर्ष	गुजरात के सेवारत/भूतपूर्व सैनिक मूल/अधिवासी सैनिक (भूतपूर्व/सेवारत अधिकारी सहित) के आश्रित/अधिवासी को.
(15)	उत्तराखण्ड	(क) उत्तराखण्ड के अधिवासी एनडीए कैडेटों हेतु 250/- रु. प्रतिमाह की जेब खर्च राशि ऐसे कैडेटों के पिता/संरक्षक को प्रदान की जाती है (पूर्व-सैनिक/विधवा के मामले में संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से)। (ख) उत्तराखण्ड के अधिवासी एनडीए कैडेटों के पिता/संरक्षक को उच्च शिक्षा निदेशालय, हलद्वानी के माध्यम से 50,000/- रु. का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।	
(16)	पंजाब	1,00,000/- रुपये एकबारी भुगतान	पंजाब राज्य का अधिवासी होना चाहिए.
(17)	राज्य सरकार, सिविकम	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए 1.5 लाख रु.	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए सिविकम के सफल उम्मीदवारों हेतु पुरस्कार.
(18)	उड़ान अधिकारी अनुज नांचल स्मारक छात्रवृत्ति.	छठे सत्र में समग्रतः द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारी भुगतान)।	
(19)	पाइलट अधिकारी गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति.	पायलट अधिकारी गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति. छठे सत्र में पासिंग आउट के समय समग्रतः सर्वश्रेष्ठ वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारी भुगतान)।	

(20) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति :

हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 रुपये प्रतिमास मिलेगा। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी। जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा है उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(21) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स ₹ 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में ₹ 400 सज्जा भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय ₹ 500 से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को, वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(22) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां : कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले कर्नाटक राज्य के कैडेटों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। छात्रवृत्ति की राशि 1000/- रु. (एक हजार रुपए) प्रतिमाह और वर्दी (आउटफिट) भत्ते की राशि प्रथम सत्र में 12000/- रु. होगी।

(23) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति : बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में ₹ 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छ: समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और ₹ 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(24) फ्लाइंग आफिसर डीवी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति : ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला समेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए ₹ 125/- प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(25) महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के बार्डों को वित्तीय सहायता

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के जो बार्ड एनडीए में कैडेट के तौर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में 50,000/-

रुपए दिए जाएंगे।

कैडेटों के माता-पिता/संरक्षकों को अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ अपने आवेदन पत्र को संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्तियों पर लागू निबंधन और शर्तें कमांडेट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे -411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

(26) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हरियाणा के अधिवासी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता।

हरियाणा राज्य सरकार ने एनडीए/आईएमए/ओटीए तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य रक्षा अकादमियों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले हरियाणा राज्य के अधिवासी प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के नगद पुरस्कार की घोषणा की है।

(27) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के अधिवासी कैडेटों को प्रोत्साहन।

चंडीगढ़ प्रशासन ने उन कैडेटों को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु योजना प्रारंभ की है जो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के निवासी हैं तथा जिन्होंने एनडीए में प्रवेश लिया है।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी।

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) विज्ञान

(घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा।

(घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं।

प्रशिक्षण :

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समाप्त है। सफल होने पर कैडेटों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/बीएससी (कम्प्यूटर)/बीए डिग्री प्रदान की जायेगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी, इंडिया में 4 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार

का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम को भारतीय नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने (पासिंग आउट) पर बी.टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में, नौ सेना कैडेट, भारतीय नौसेना अकादमी इंडिया माला में और वायु सेना कैडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद जाएंगे।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जैन्टलमैन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। ताकि वे इन्फ्रेन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जैन्टलमैन कैडेटों को उनके शेष वन (shape-एक) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लैफिटनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक शाखा के लिए चुना जाता है, भारतीय नौसेना अकादमी इंडिया माला में एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें उप लैफिटनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेंड वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाइंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छ: महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाप्ति कर दिया जाता है।

सेवा की शर्तें

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक.

(i) कैडेट प्रशिक्षण हेतु नियत वृत्तिका

(ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी ₹ 6780/- से ₹ 8400/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता ₹ 4200/- से ₹ 5200/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा ₹ 1600/- से ₹ 2000/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9000 फीट और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को ₹ 1060/- प्रतिमाह से ₹ 11,200/- प्रतिमाह तक की रेंज में हाई एल्टीट्रूयूड भत्ते के पात्र होंगे जो अधिकारी के रैक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा।

(ङ) परिधान भत्ता : एक समय किट के लिए ₹ 14,000/- की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्षों के लिए ₹ 3,000/-

(च) परिवहन भत्ता : अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता ₹ 3200/- + उस पर महंगाई भत्ता प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर ₹ 1600/- उस पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। रक्षा बलों के लिए निर्दिष्ट भत्तों के मामले में, इन भत्तों की दरों को 50% से आगे बढ़ाया गया है क्योंकि महंगाई भत्ता 100% से ऊपर चला गया है।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा राशि एक अनिवार्य

सामूहिक योजना है जो कैडेटों, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नौसेना और वायु सेना कैडेट शामिल हैं द्वारा कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करने की तारीख से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक तीन वर्ष के लिए एक बार में ₹. 4250/- की अग्रिम एकमुश्त अप्रतिदेय राशि की अदायगी पर ₹ 10 लाख के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। पदोन्नति के मामले में, ऐसा होते ही प्रत्येक पदोन्नति अवधि के लिए ₹ 770/- की अतिरिक्त बीमा राशि का भुगतान करना होगा। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत तक का लाभ दिया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 5 लाख रु. जो कि 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए एक लाख रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। प्रशिक्षण के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण बाहर किए जाने वाले कैडेटों को 50,000/- का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण अशक्त ठहराए जाने पर बाहर किए गए कैडेटों को 1 लाख रु. का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदि. रापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैटेड भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) बीमा: भारतीय सैनिक अकादमी में बीमा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जैंटलमैन कैडेटों का नियमित अधिकारियों पर यथा लागू मुख्य एजीआई योजना के अनुसार पहली सितंबर 2013 से 5000/- रु. मासिक योगदान सहित 50 लाख रु. के लिए बीमा किया जाता है। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर भारतीय सैनिक अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत का लाभ दिया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 25 लाख रु. के लिए बीमा किया जाएगा। जो 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 5 लाख रु. तक अनुपातिक रूप से कम हो जाता है और तथापि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए 50000/- रु. के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैटेड भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. प्रोन्नति के अवसर

क्र. सं.	सेना	नौसेना	वायु सेना	मूल पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम संगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
(क)	लैफिटनेट	सब लैफिटनेट	फ्लाइंग ऑफिसर	कमशन प्राप्त होने पर
(ख)	कैटन	लैफिटनेट	फ्लाइट लैफिटनेट	02 वर्ष
(ग)	मेजर	लैफिटनेट	स्कॉड्जन लीडर	06 वर्ष
(घ)	लैफिटनेट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर	13 वर्ष
(ङ.)	कर्नल (चयन)	कैटन (चयन)	ग्रुप कैटन (चयन)	15 वर्ष
(च.)	कर्नल (समयमान)	कैटन (समयमान)	ग्रुप कैटन (समयमान)	26 वर्ष
(छ.)	ब्रिगेडियर	कोमोडोर	एयर कोमोडोर	चयन के अधार पर
(ज.)	मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस मार्शल	
(झ.)	लैफिटनेट जनरल	वाइस एडमिरल	एयर मार्शल	
(ञ.)	जनरल	एडमिरल	एयर चीफ मार्शल	

14. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।

रो.सं. 1275